फाइल नं0-71-3002(003)/1/2022-03

141/2023/I/456324/2023

प्रेषक,

आनन्द कुमार त्रिपाठी,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रधानाचार्य,
स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय,
अयोध्या, एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर,
देवरिया, गाजीपुर, मीरजापुर तथा जौनपुर।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 27 दिसम्बर, 2023

विषयः- वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या -31 के अन्तर्गत मेडिकल कालेज, अयोध्या, एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, गाजीपुर, मीरजापुर तथा जौनपुर में मानक मद-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) मद में अनुपूरक मांग से प्राविधानित धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एमई/बजट/2023-24/693, दिनॉक 13.12.2023 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजस्व पक्ष के अधीन अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय यथा-अयोध्या, एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, गाजीपुर, मीरजापुर तथा जौनपुर हेतु मानक मद-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) में निम्न विवरणानुसार अनुपूरक मांग से प्राविधानित धनराशि रू0 1**,33,93,22,000.00 (रू0 एक अरब तैंतीस करोड़ तिरानबे लाख बाइस हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(रू0 लाख में)

क्र0	मेडिकल कालेज का नाम	लेखाशीर्षक	अनुपूरक मांग के माध्यमसे बजट प्राविधान	अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5
1	अयोध्या	2210-05-105-03-0383	800.00	800.00
2	एटा	2210-05-105-03-0348	800.00	800.00
3	हरदोई	2210-05-105-03-0349	1702.07	1702.07
4	प्रतापगढ़	2210-05-105-03-0350	1467.50	1467.50
5	फतेहपुर	2210-05-105-03-0351	1926.59	1926.59
6	सिद्धार्थनगर	2210-05-105-03-0352	1021.38	1021.38

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

7	देवरिया	2210-05-105-03-0353	1400.00	1400.00
8	गाजीपुर	2210-05-105-03-0354	1877.18	1877.18
9	मीरजापुर	2210-05-105-03-0355	1648.50	1648.50
10	जौनपुर	2210-05-105-03-0386	750.00	750.00
		योग-	**13393.22**	**13393.22**

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

1. स्वीकृत धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण, आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से आवश्यकतानुसार एवं व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा इसका उपयोग उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किन्ही अन्य मद में व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
3. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17.03.2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा, इसके अभाव में अनुदान की आगामी किश्त निर्गत किया जाना सम्भव नहीं होगा।
5. धनराशि को कोषागार से मेडिकल कालेज के वित्त नियंत्रक द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।
6. यदि वित्तीय वर्ष 2022-23 में अवमुक्त की गयी धनराशि अवशेष है, तो उसका समायोजन करने के पश्चात ही चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण किया जाये।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2210051050348 (मेडिकल कालेज, एटा)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	031	2210051050348 मेडिकल कालेज, एटा	31 सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	8,00,00,000 (रुपये आठ करोड़ मात्र)
	कुल			**8,00,00,000** **(रुपये आठ करोड़ मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2210051050349 (मेडिकल कालेज, हरदोई)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	031	2210051050349 मेडिकल कालेज, हरदोई	31 सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	17,02,07,000 (रुपये सत्रह करोड़ दो लाख सात हजार मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	कुल			**17,02,07,000** **(रुपये सत्रह करोड़ दो लाख सात हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2210051050350 (मेडिकल कालेज, प्रतापगढ)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	031	2210051050350 मेडिकल कालेज, प्रतापगढ	31 सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	14,67,50,000 (रुपये चौदह करोड़ सड़सठ लाख पचास हजार मात्र)
	कुल			**14,67,50,000** **(रुपये चौदह करोड़ सड़सठ लाख पचास हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2210051050351 (मेडिकल कालेज, फतेहपुर)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	031	2210051050351 मेडिकल कालेज, फतेहपुर	31 सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	19,26,59,000 (रुपये उन्नीस करोड़ छब्बीस लाख उनसठ हजार मात्र)
	कुल			**19,26,59,000** **(रुपये उन्नीस करोड़ छब्बीस लाख उनसठ हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2210051050352 (मेडिकल कालेज, सिद्वार्थनगर)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	031	2210051050352 मेडिकल कालेज, सिद्वार्थनगर	31 सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	10,21,38,000 (रुपये दस करोड़ इक्कीस लाख अड़तीस हजार मात्र)
	कुल			**10,21,38,000** **(रुपये दस करोड़ इक्कीस लाख अड़तीस हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2210051050353 (मेडिकल कालेज, देवरिया)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	031	2210051050353 मेडिकल कालेज, देवरिया	31 सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	14,00,00,000 (रुपये चौदह करोड़ मात्र)
	कुल			**14,00,00,000**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

				(रुपये चौदह करोड़ मात्र)

लेखाशीर्ष: 2210051050354 (मेडिकल कालेज, गाजीपुर)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	031	2210051050354 मेडिकल कालेज, गाजीपुर	31 सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	18,77,18,000 (रुपये अठारह करोड़ सतहत्तर लाख अठारह हजार मात्र)
	कुल			**18,77,18,000** **(रुपये अठारह करोड़ सतहत्तर लाख अठारह हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2210051050355 (मेडिकल कालेज, मीरजापुर)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	031	2210051050355 मेडिकल कालेज, मीरजापुर	31 सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	16,48,50,000 (रुपये सोलह करोड़ अड़तालीस लाख पचास हजार मात्र)
	कुल			**16,48,50,000** **(रुपये सोलह करोड़ अड़तालीस लाख पचास हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2210051050383 (मेडिकल कालेज, अयोध्या)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	031	2210051050383 मेडिकल कालेज, अयोध्या	31 सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	8,00,00,000 (रुपये आठ करोड़ मात्र)
	कुल			**8,00,00,000** **(रुपये आठ करोड़ मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2210051050386 (राजकीय मेडिकल कॉलेज, जौनपुर)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	031	2210051050386 राजकीय मेडिकल कॉलेज, जौनपुर	31 सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	7,50,00,000 (रुपये सात करोड़ पचास लाख मात्र)
	कुल			**7,50,00,000** **(रुपये सात करोड़ पचास**

http://shasanadesh.up.nic.in

				लाख मात्र)

महायोग	1,33,93,22,000 (रुपये एक अरब तैंतीस करोड़ तिरानवे लाख बाईस हजार मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17.03.2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्त प्रतिनिधनित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
उप सचिव।

संख्या/तद्दिनांक, उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, अयोध्या, एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, गाजीपुर, मीरजापुर तथा जौनपुर।
6. कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, अयोध्या, एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, गाजीपुर, मीरजापुर तथा जौनपुर।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।